

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी-सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त प्रस्तावित दूणी-सुकुण्डा मोटर मार्ग के किमी0 07 से प्रारम्भ होता है जो दूणी, प्रा0 विद्यालय, पन्याली, विर्था एवं पोखरी ग्राम को जोड़ता है जिनकी कुल आबादी 912 है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गाँव की महिलायें पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पाएंगी, जिससे कि बच्चों का लालन पालन तथा पठन-पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूरी हो पाएगी। गाँव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के लिए नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई से ले जा पाएंगे साथ ही गाँव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह संरेखण सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। संरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं आता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 8.00 किमी0 तथा मार्ग की चौड़ाई 7.00 मी0 ली गई है। मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.260 हेक्टेयर, वन पंचायत भूमि 2.100 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.980 है0 एवं नापभूमि 1.260 हेक्टेयर प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम संरेखणों पर विचार किया गया है।

समरेखण नं0-1 इस समरेखण के अनुसार इस मार्ग का संरेखण दूणी-सुकुण्डा मोटर मार्ग के किमी0 07 से प्रारम्भ होता है मार्ग की लम्बाई 8.00 किमी0 है तथा निर्माण की लागत कम है मार्ग में 4 नं0 हियर पिन बैण्ड पड़ते हैं। तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। लम्बाई कम है तथा इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं। वृक्षों की संख्या कम है।

समरेखण नं0-2 इस समरेखण के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखण स्थल दूणी-सुकुण्डा मोटर मार्ग के किमी0 07 से प्रारम्भ होता है। मार्ग की लम्बाई 8.00 किमी0 आती है। मार्ग की लम्बाई अधिक होने के कारण निर्माण की लागत अधिक आती है। इस समरेखण में अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मार्ग में 6 नं0 हियरपिन बैण्ड पड़ते हैं, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही नहीं मिलता तथा समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासीयों की वन पंचायत की इमारती लकड़ी का अधिक नुकसान हो रहा है। जिससे ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0-2 को निरस्त कर समरेखण नं-1 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.260 हेक्टेयर, वन पंचायत भूमि 2.100 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.980 एवं नापभूमि 1.260 हेक्टेयर प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 7.00 किमी0 व चौड़ाई 7 मी0 में ली गयी है एवं मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

मोटर मार्ग निर्माण हेतु 7.00 मी0 चौड़ाई में भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुलडम्पिंग जोन जिनकी चौड़ाई 1.50 मी0 है तथा प्रतिधारक दीवार जिसकी ऊंचाई 2.00 से 3.00 मी0 के बीच है प्रस्तावित किये गये हैं। मार्ग निर्माण 6.00 मी0 चौड़ाई में किया जायेगा तथा इसके पश्चात खड्ड साईड में स्थित 1.00 मी0 चौड़ाई के डम्पिंग जोन में मलवा निस्तारण किया जायेगा। इस प्रकार समस्त डम्पिंग जोन में 6.00 मी0 मार्ग निर्माण एवं खड्ड साईड में 1.00 मी0 कुल 7.00 मी0 चौड़ाई में भूमि प्रभावित होगी तथा मलवा निस्तारण स्थल का क्षेत्रफल भूमि हस्तान्तरण हेतु 7.00 मी0 चौड़ाई में सम्मिलित है।

अतः प्रभावित वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें।

कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,

कपकोट

संस्थानक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट

संस्थानक अभियन्ता

अभिशासक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट